संख्या-20/1413 /अडतीस-7-2014-200नरेगा/2009

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
अनु सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 31 जुलाई, 2014**

विषय महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर जनपद/ब्लाक स्तर पर नियुक्त सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की सेवा अवधि में विस्तार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 2245/अडतीस-7-2012-200नरेगा/2009 दिनांक: 04-10-2012 एवं शासनादेश संख्या-1390/अडतीस-7-2012-200नरेगा/2009 दिनांक: 04-07-2012, शासनादेश संख्या-4050/अडतीस-7-2012-324नरेगा/2012टीसी दिनांक: 16-12-2013 तथा शासनादेश संख्या-756/अडतीस-7-2012-324नरेगा/2012टीसी दिनांक: 25-03-2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों, जिनकी सेवाएं दिनांक: 30-06-2014 को समाप्त हो रही थी, की सेवाएं आगे दिनांक: 31-12-2014 तक अथवा आउट सोर्सिंग के आधार पर संविदा पर जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स के योगदान करने की तिथि तक विस्तारित की जाती हैं। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

संख्या- 1413 (1)/अड्तीस-7-2014 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in